बिहार में 15 अगस्त से लागू होगा राइट टू सर्विस एक्ट, कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

विभाग बताएं, आरटीएस के लिए कितने हैं तैयार

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राइट टू सर्विस एक्ट लागू (आरटीएस) होने से पहले सरकारी विभागों और कार्यालयों में ट्रायल शुरू हो गयी है। विभागों में तैयारियों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने फिलहाल नौ प्रमुख विभागों से आरटीएस की जानकारी मांगी है।

बिहार में 15 अगस्त से यह कानून प्रभावी होगा। इसी के साथ सरकारी कार्यालयों में हरेक काम की समय सीमा तय हो जायेगी। जाति-आवास-आय प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक निर्धारित समय के भीतर मिल जायेगी। फिर लोगों को ना तो दलालों व भ्रष्टकर्मियों के पास जाना पड़ेगा और ना ही पैरवी के लिए किसी रसूखवाले का सहारा लेना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग तमाम विभागों में आरटीएस की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके लिए चेकलिस्ट भी तैयार की गई है। विभागों को चेकलिस्ट से मिलान करके यह देखना है कि उसके क्षेत्रीय कार्यालय राइट टू सर्विस एक्ट के लिए तैयार हुए या नहीं।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने मानव संसाधन विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन-उत्पाद व मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास-आवास विभाग और वाणिज्य कर विभाग को अगले कुछ दिनों में विशेष काउंटर से लेकर कर्मचारियों के प्रशिक्षण तक का इंतजाम कर लेने को कहा है।

कामकाज की समय सीमा

कार्य	अफसर	निपटारा(दिन)	ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	30
जाति प्रमाण पत्र	सीओ	21	लाइसेंस बदलाव	डीटीओ	15
आवासीय प्रमाण पत्र	एसडीओ	21	नए वाहनों का निबंधन	डीटीओ	30
आय प्रमाण पत्र	डीएम	21	पेट्रोल पम्प लाइसेंस	डीटीओ	30
पासपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र	डीएसपी	28	नया राशन कार्ड	एसडीओ	60
लर्निंग लाइसेंस	डीटीओ	15	दाखिल-खारिज	सीओ	18

आरटीएस की चेकलिस्ट

● काउंटर की जगह ● फर्नीचर की व्यवस्था ● काउंटर का साइनबोर्ड ● कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति ● स्टेशनरी-रजिस्टर का इंतजाम ● कंप्यूटर-प्रिंटर का इंतजाम ● क्षेत्रीयकर्मियों का प्रशिक्षण